(2)

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 121/2017

बउनवान

चन्द्रमोहन पुत्र हीरालाल जाति–मीणा निवासी–बालून्दा
तहसील–मॉगरोल, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री नरेन्द्रकुमार सोमानी, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 12.09.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 18.02.2016 [illegible] होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत [illegible] में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम [illegible] की आराजी खसरा नम्बर 147 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म [illegible] पर [illegible]नकर 512/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावा[illegible] किया गया है।

अपील में [illegible] न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों के विपरीत [illegible] किये जाने योग्य है। पत्रावली पर पूर्व बेदखली का कोई प्रमाण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया, तामील हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय मात्र कयास के आधार पर आदेश पारित किया है। [illegible] करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नहीं [illegible] पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है वर्तमान में भूमि खा[illegible] तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय का [illegible] निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया [illegible] अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख [illegible] किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये सजायाब किया गया है। साथ हीं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 65/15 निर्णय दिनांक 18.02.2016 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक [illegible] पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड [illegible] किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत [illegible] का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी [illegible] नहर है, जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ [illegible] अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर [illegible] दिनांक 18.2.2016 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट [illegible] होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 58/2016 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 को यथावत रखा जाता है।

सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Web Copy - Not Official

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर, बारां

न्यायालय जिला कलक्टर
बारां (राज०)